



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122020-223795
CG-DL-E-19122020-223795

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4056]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942

No. 4056]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4619(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3673-(अ) दिनांक 19 अक्टूबर, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 (रास-ब्यावर-आसींद-माण्डल खंड) के कि.मी. 36.600 से कि.मी. 44.100 और कि.मी. 46.350 से कि.मी. 48.100 तक के भूखण्ड के निर्माण ((चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) , अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "24 अक्टूबर, 2020" को "राजस्थान पत्रिका" और "राष्ट्रदूत " दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 (रास-ब्यावर-आसींद-माण्डल खंड) के कि.मी. 36.600 से कि.मी. 44.100 और कि.मी. 46.350 से कि.मी. 48.100 तक के भूखण्ड के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: राजसमंद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: भीम				
	गांव का नाम: बाडिया हीरा				
1	427	सरकारी	गै. मु. नाला	0.0149	राज.सरकार (427)
	गांव का नाम: फाटाखेड़ा				
2	819	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0109	राज.सरकार (819)
	गांव का नाम: पीपली का बाडिया				
3	123	निजी	गै. मु. चाह	0.0022	हरि सिंह बाबुसिंह पि. पना 1/3 रतनसिंह लक्ष्मणसिंह पि. देवीसिंह 1/3 विक्रमसिंह पि. फतहसिंह 1/6 अर्जुनसिंह सोनुसिंह रोशनसिंह संतोष सीता पिता पूनमसिंह बदाम देवी पत्नि पूनमसिंह 1/6 रावत सा.देह (123)
			कुल	0.028	

[फा. सं. RW/NH/12012/11/2017/PS-4/RJ/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2020

S.O. 4619(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O no. 3673-E on dated 19th Oct, 2020 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-

section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ two lane with paved shoulder/four laning etc.) Maintenance, management and operation of National Highway No. 158 (Ras-Beawar-Asind-Mandal section) on the stretch of land from Km 36.600 to Km 44.100 and 46.350 to 48.100 in the District of Rajsamand in the State of Rajasthan.

And whereas the substance of the said notification has been published in Rajasthan Patrika” on 24th Oct, 2020 and “Rastradoot” on dated 25th Oct, 2020 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the National Highway No. 158 (Ras-Beawar-Asind-Mandal section) on the stretch of land from Km. 36.600 to Km. 44.100 and 46.350 to 48.100 in the District of Rajsamand in the State of Rajasthan.

State: RAJASTHAN		District: RAJSAMAND			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bhim				
	Village: Badiya heera				
1	427	Government	Ge. Mu. Nala	0.0149	Raj. Government 427
	Village: Fatakhara				
2	819	Government	Ge.Mu.Rasta	0.0109	Raj. Government 819
	Village: Peepli ka Badiya				
3	123	Private	Ge. Mu. Chah	0.0022	Harisingh Babusingh S/O Pana 1/3 Ratansingh Lakshman Singh S/O Devisingh 1/3 Vikramsingh S/O Fatahsingh 1/6 Arjun Singh Sonusingh Roshan Singh Santosh Sita S/O Poonam Singh Badam Devi W/O Poonam Singh 1/6 Rawat Sa. Deh 123
			TOTAL	0.028	

[F. No. RW/NH/12012/11/2017/PS-4/RJ/3D2]

RAJESH GUPTA, Director